Functioning of FCI in Assam

4089. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India in Assam is not working/functioning satisfactorily, and a large number of corruption cases have been detected ;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken by Government in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) Food Corporation of India have reported that it is not correct their Regional Office in Assam is not working/functioning well and that a large number of corruption cases have been detected. However, irregularities in 2 specific cases have come to notice which were investigated.

(b) and (c) (i) On receipt of complaints/newspaper reports in June, 1992 about pilferage of foodgrains at Ramnagar depot. the matter was investigated. Based on the preliminary investigations and physical verification of stocks, responsibility for losses was fixed on 16 officers/officials. Out of these, major penalty proceedings have been initiated in 6 cases and minor penalty proceedings in 1 case. In 1 case, minor penalty has been imposed. In the remaining cases, necessary action has been initiated.

(ii) A complaint was received against officers/officials of District Office, Kokrajhar (Assam) alleging irregularities in the appointment of Handling and Transport Contractor at high rates. The matter was investigated and based on the investigation report, the officers/officials concerned who had not processed the case properly have been cautioned to be more careful in future.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4090. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 1992-93 के दौरान आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि की तुलना में वर्ष 1993-94 में अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गेहूं, चावल, चाय और चीनी के मूल्यों में क्रमशः कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि की तुलना में सामान्य मुद्रास्फीति की दर में कम वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाये थे; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान चावल, गेहूं, दालें, चीनी और चाय के थोक मूल्यों के सूचकांकों में प्रतिशत विभिन्नता/मुद्रास्फीति की वार्षिक दर की स्थिति नीचे दी गई है :—

वस्तु	प्रतिशत विभिन्नता/बिन्दु प्रति बिंदु मुद्रास्फीति की वार्षिक दर	
	1993-94	1992-93
चावल . .	9.3	—0.2
गेहूं . .	18.5	2.7
चीनी . .	18.1	13.9
चाय . .	11.9	30.8
दालें		
चना . .	48.7	23.9
अरहर . .	12.1	—4.2
मूंग . .	22.9	—0.8
मसूर . .	17.0	—5.1
उड़द . .	33.3	—15.2

(ङ) और (च) खुले बाजार में गेहूं और चावल की कीमतों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री करने का कार्य शुरू किया है । इसका इन वस्तुओं की खुले बाजार में कीमतों पर संतुलित प्रभाव पड़ा है । नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन गठित अन्तर-मंत्रालयीय समिति 12 चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उपलब्धता, कमी, आदि, यदि कोई होती हैं, की नियमित आधार पर समीक्षा करती है । राज्य सरकारों से अनुरोध